Allotment Letter

सही प्रयास

ISO 9001:2000 प्रमाणित
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(UP Housing & Development Board)
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–तृतीय,
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
फोन: 0522–2355347 : फैक्स–0522–2343909

सबका अपना आवा[स]

133 / नि0प्रा0– 2008/25/इकाई–3 / दिनांक : 19.1.0[9]

स्वीकृति–पत्र

मैं0 सागिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा0 लि0,
द्वितीय तल राजाराम कुमार प्लाजा
75, हजरत गंज लखनऊ।

य,

परिषद की वृन्दावन योजना –2 लखनऊ के सेक्टर 6–ए स्थित ग्रुप हाउसिंग मूखंड सं0 6ए/ग्री0एच0 – 01 [आ]वेदन दिनांक 8.12.2008 के परिप्रेक्ष्य में आवास आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में 15.0 मी0 से अधिक ऊँचाई [भव]नों हेतु समिति की बैठक दिनांक 11.12.2008 लिये गये निर्णयानुसार निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान [की] जाती है।

निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 19.1.09 से 18.1.2014 तक।

स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।

यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से [अ]द्यतन प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।

[य]ह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 7843.70 व0मी0 (बेसमेन्ट + ग्राउन्ड + 5) तलों में से 2680.22 वर्ग मी0 [(बेस]मेन्ट + ग्राउन्ड) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 4225.00 व0मी0 के मूखंड में प्रदान की गयी है। बेसमेन्ट [मे]ं [पार्कि]ंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए. आर. में आंगणित नहीं किया गया है । अतः पार्किंग हेतु [निर्धा]रित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु [प्रदा]न की जाती है। बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित कि[ये जाने] के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 5163.48 वर्ग मी0 की अनुवर्ती तलों [की स्वी]कृति प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृति मानचित्र की प्रति संलग्न है।)

मूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड – 12 उ0प्र0 आवास ए[वं विकास प]रिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।

भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अनापत्ति प्रमा[ण पत्र] प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।

निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वा[रा सु]गमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

क्रमशः /2

Scanned by CamScanner

आंवटी की प्रति

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम्
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS

Bureau of Indian Standards SCMS

पत्र सं0– 65 / नि0प्रा0-2012/33 दिनांक– 9/1/2015

स्वीकृत–पत्र

सेवा में,

मैसर्स शामियां इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्रा0 लि0
ग्राउण्ड फ्लोर मलरोस स्क्वायर,6सी / जी0एच0–01
वृन्दावन योजना,रायबरेली रोड,
लखनऊ ।

विषयः–ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–6ए / जी0एच0–01 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–6ए / जी0एच0–01 वृन्दावन योजना लखनऊ का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन के तकनीकी परीक्षणोंपरान्त दिनॉक 19–08–2013 को आवास आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मानचित्र समिति के निर्णय के अनुसार कतिपय निम्न शर्तो सहित अनुमोदित किया गया हैः–

1. स्वीकृत निर्माण स्थल पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–6ए / जी0एच0–01 वृन्दावन योजना लखनऊ की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 9/1/15 से 08/1/2020 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. भूखण्ड पर पूर्व में स्वीकृति पत्रांक–133 / नि0प्रा0 2008 / 25 / इकाई–3 दिनांक–19–1–2009 (एफ0ए0आर0 1.5) व पत्रांक–848 नि0प्रा0–2012 / 13 / वा0नि0–4 दिनांक–28–5–2012(एफ0ए0आर02.5) हेतु निर्गत है, वर्तमान में यह स्वीकृति एफ0ए0आर02.74 जिसमें पूर्व स्वीकृति का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। स्वीकृति में प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 1527.36 वर्गमी0 (11+12 वें) तलों पर 4225.0.0 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंन्टों के फ्लोर में पार्किग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में आंगणित नही किया गया है। अतः पार्किग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. भविष्य में प्रस्तावित से भिन्न उपयोग किये जाने की दशा में परिवर्तन के सापेक्ष पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, इस प्रकार के परिवर्तन पर उपविधि के अनुसार अनुमन्य पार्किग का प्राविधान सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11 व सहायक आवास आयुक्त वृन्दावन योजना,लखनऊ द्वारा स्थल पर निर्माण इस दशा में अनुमन्य किया जायेगा, जबकि संबंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के **पत्रांक सं–प–1272 / एफ. एस.–08 दिनॉक 24–12–2014** द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है एवं भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

Scanned by CamScanner

10. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

11. मैसर्स शामियां इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्रा० लि० द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज(अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।

12. **भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0 बा0) दिनांक–3–2–2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकम्परोधी /2001/(आ0 बा0) दिनांक 20–7–2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के मानचित्र सं0–4/12 के पृष्ट भागों पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।**

13. आवंटी द्वारा प्रदूषण विभाग, का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है, जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालय को उक्त प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर कार्यालय को छः माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जायेगा।

14. कम से कम 200 वर्गमी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

15. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है, तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

17. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

18. आवंटी द्वारा भारतीय विमानन पत्तनम् विभाग द्वारा निर्माण कार्य 15.0 मी0 ऊँचाई तक अथवा छः माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना होगा।

19. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

20. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (17 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (18 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट ।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप –व ।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

प्र0 स0:– /उक्त /
दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11 को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र–व की एक प्रति सलंग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण शर्त सं0–15 के अनुपालन की दशा में प्रारम्भ करेगा तथा शपथ पत्र के अनुसार भवन सामग्री एवं मलवा भूखण्ड पर ही संग्रहण करेगा।
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन योजना लखनऊ को शर्त सं0–04 के संदर्भ में ।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र –च सहित ।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner